प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.07.2024

वादी के मैंनेजर द्वारा जनता की मदद से वादी के घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को पकड़कर थाना इन्दिरापुरम पुलिस को सुपुर्द किया तथा थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व छीने हुए एटीएम से निकाले हुए 25000/- रु बरामद।

दिनांक 30.07.2024 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पर डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि वसुन्धरा सैक्टर-1 में स्थित मकान में फायर किया गया है व लूट की घटना कारित की गयी है। जिसमें एक अभियुक्त को पकड रखा है। प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गयी तो पाया कि वादी विकास शर्मा सैक्टर-1 वसुन्धरा बताया कि में अपने फ्लैट पर ही कपड़ो व घड़ियों की ट्रेडिंग का व्यापार करता हूँ। आज मेरे घर पर अभियुक्त विजय पंडित उर्फ अंकित पुत्र रमेश चन्द निवासी गुलाब नगर थाना जगदीशपुरा आगरा मूल पता म0न0 128 मोहल्ला मोहन सड़क कायस्थान थाना कोतवाली कासगंज उम्र 30 वर्ष ने अपने अन्य साथी अंकित सक्सेना पुत्र रमेश सक्सेना निवासी गली कायस्थान मोहल्ला मोहन कासगंज उ0प्र0 व सतीश पुत्र नामालुम निवासी झुग्गी झोपडी पश्चिम पुरी आगरा के साथ मिलकर मेरे घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की घटना कारित की गई है। जिसके क्रम में वादी के मैनेजर विष्णू द्वारा दौडकर जनता की मदद से 01 अभियुक्त विजय पंडित उर्फ अंकित पुत्र रमेश चन्द निवासी गुलाब नगर थाना जगदीशपुरा आगरा मूल पता म0न0 128 मोहल्ला मोहन सड़क कायस्थान थाना कोतवाली कासगंज उम्र 30 वर्ष को मय तंमचा के पकड़ा था। मौके से थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना क्रम में संलिप्त 01 अभियुक्त विजय पंडित उर्फ अंकित को तलाशी लेकर कब्जे से 02 मोबाइल फोन, एटीएम से निकाले गए 25000/- रु व 01 तमंचा व 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त विजय पंडित उर्फ अंकित उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोग 2-3 वर्ष पहले कासगंज जेल में मिले थे। 6 माह पहले मैं विकास से मिलने वसुन्धरा गया था और मैंने कुछ जीन्स व अन्य सामान बेकने के लिये लिया था। उसी दौरान मुझे विकास के व्यापार की जानकारी हुई थी। और पता चला कि विकास ने व्यापार करके कई महंगी गाड़िया खरीद ली है। जिससे मेरे मन में लालच आ गया और मैंने अपने अन्य साथी अंकित सक्सेना व सतीश के साथ मिलकर विकास को लूटने का प्लान बनाया। उसी क्रम में कल दिनांक 30.07.2024 को मैं विकास से मिलने वसुन्धरा फ्लैट पर गया था। लेकिन विकास वहाँ पर मौजूद नही था। वहाँ पर विकास का मैनेजर विष्णू था। मैं वहीं विकास के आने का इंतजार करने लगा। जब

शाम को विकास आया तो मैने पीछे से अपने अन्य दो साथी अंकित व सतीश को मय असलाह के बुला लिया । और प्लानिंग के द्वारा शक न हो इसीलिए पहले अंकित व सतीश ने मुझे दो थप्पड मारे । जिससे विकास को लगे कि मैं उनके साथ में नही मिला हुआ हूँ । फिर अंकित व सतीश ने तमंचे से डराकर घर में पैसा ढूंढा लेकिन कोई कैश नहीं मिला । तब मैंने एटीएम से पैसे निकालने की बात सतीश व अंकित से कही और फिर सतीश तमंचा लेकर विकास व मैनेजर के पास बैठा रहा तथा अंकित व मैं विकास के दो एटीएम छीनकर पास ही स्थित एटीएम से पैसा निकालने चले गये । उसी समय विकास व उसके मैनेजर की सतीश के साथ हाथापाई होने लगी । उसी दौरान अंकित व मैं भी बाहर से पैसा निकालकर आये तथा हाथापाई होता देख मारपीट करने लगे । जिससे विकास के सिर में चोट लग गई थी । उसके बाद शोर होने पर अन्य लोगों के आ जाने से अंकित, सतीश व मैं फायर करके 04 मोबाइल, एक लैपटाप, 02 गाड़ी की चाबी लेकर भाग रहे थे ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

- विजय पंडित उर्फ अंकित पुत्र रमेश चन्द निवासी गुलाब नगर थाना जगदीशपुरा आगरा मूल पता म0न0 128 मोहल्ला मोहन सड़क कायस्थान थाना कोतवाली कासगंज उम्र 30 वर्ष ।

<u>फरार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. अंकित सक्सेना पुत्र रमेश सक्सेना निवासी गली कायस्थान मोहल्ला मोहन कासगंज उ0प्र0 ।
2. सतीश पुत्र नामालुम निवासी झुग्गी झोपडी पश्चिम पुरी आगरा ।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- 25000/- रु0 (एटीएम से निकाले गये)
- 01 तमंचा व 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 02 मोबाइल फोन बरामद ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम